संख्या- 22 /2018 / 220 /चार-2018 -14 (बजट)/ 2017

प्रेषक,

हीरा लाल
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के सुदृीकरण के अन्तर्गत परिसर की लैण्ड स्केपिंग एवं पार्क के विकास व समुचित प्रकाश व्यवस्था के कार्यो हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1147/उ0प्र0सं0नि0-2(72)/2017-18 दिनांक 17 जनवरी, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के सुदृीकरण के अन्तर्गत परिसर की लैण्ड स्केपिंग एवं पार्क के विकास व समुचित प्रकाश व्यवस्था के कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा धनराशि रू0 323.75 लाख का आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के निर्देशानुसार प्रायोजनाओं के मूल्यांकन एवं औचित्य के परीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-4110/चार-2015-131(वि)/2015 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आगणन का परीक्षण करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत रू0 311.00 लाख निर्धारित की गयी है।

अतएव वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के सुदृीकरण के अन्तर्गत परिसर की लैण्ड स्केपिंग एवं पार्क के विकास व समुचित प्रकाश व्यवस्था के कार्यो हेतु रू0 311.00 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण /उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, संग्रहालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

4- यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य /मद हेतु किया जायेगा।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विवरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

8- ई-टेण्डरिंग से सम्बन्धित निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा। ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्रतिर्स्पाधात्मक दरों को प्राप्त कर न्यूनतम दरों पर उच्च गुणवत्तापरक कार्य करवाया जाय।

9- प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का पालन किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी का होगा।

10- लैण्ड स्कैपिंग, उद्यानीकरण तथा पार्क विकास के कार्य में स्थानीय उद्यान विभाग के द्वारा तकनीकी परामर्श प्राप्त कर तथा उनके मार्गदर्शन में प्रश्नगत कार्य कराया जाय।

11- आगणन में लगायी गयी बाजार दरों के पुष्टि के बारे में स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत दरों के अनुमोदन हेतु समिति का गठन कर सक्षम प्राधिकारी से दरों के अनुमोदन कराया जाय।

12- उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्रियों को उपयोग में लाने से पूर्व गुणवत्ता का परीक्षण शासकीय संस्था से करवाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।

13- आगणन में प्राविधानित ब्रिक कोवा तथा एन्टीटरमाइट (दीमक रोधी उपचार) का कार्य अधिकृत एवं पंजीकृत संस्था से ही कराया जाय।

14- आगणन में विद्युतीकरण के कार्य अन्तर्गत मद संख्या-2 के उपमद -ABCDE के प्राविधान अन्तर्गत सामग्रियों की आपूर्ति ली जानी है, इस पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज देय नहीं है।

15- विद्युतीकरण के कार्य अन्तर्गत ली जाने वाली सामग्रियॉ प्रतिष्ठित ब्राण्ड की यथा- हैवल्स/क्राम्टन /फिलिप्स /बजाज आदि मेक की लगायी जा सकती है/ समरसेबिल पम्प आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0 मार्क यथा के0एस0बी0/क्राम्टन/ ऊषा/सी0आर0आई0 मेक का लगाया जा सकता है।

16- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम तकनीकी अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति का पृथक रूप से आगणन गठित कर सक्षम तकनीकी अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराये ।

17- कार्य का सम्पादन निदेशक, संग्रहालय निदेशालय की अध्यक्षता में गठित विधा विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए क्रियान्वयन समिति का गठन करके कार्य को करवाया जाय ताकि गुणवत्तापरक कार्य हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18- आगणन की मद संख्या-31 तथा आगणन के पृष्ठ-32 पर उल्लिखित मद संख्या-12 के अन्तर्गत कार्य तकनीकी रूप से सुस्पष्ट नहीं इसको तकनीकी स्वीकृति के आगणन में स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा।

19- आगणन कार्य सम्पादन के दौरान अत्यावश्यक छोटे-मोटे कार्यो का सम्पादन आगणन में प्राविधानित की गयी कन्टीजेन्सी मद की धनराशि से कार्य को कराया जाय।

20- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक - 4202 -शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -106-संग्रहालय- 800-अन्य व्यय -39-राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर का सुदृढीकरण- 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

21- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(हीरा लाल)
विशेष सचिव

संख्या- 22 /2018/ 220 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, इकाई-गोरखपुर
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(लुटावन राम)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।